

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नं०:-215/23

1. देवीसिंह-पुत्र रतन पोत्र बुद्धा
2. सीताराम पुत्र रतन पोत्र बुद्धा
3. ओमप्रकाश पुत्र रतन पोत्र बुद्धा
4. प्रताप पुत्र रतन पोत्र बुद्धा
5. राकेश पुत्र रतन पोत्र बुद्धा

सभी जाति गूजर निवासी गाजीपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान।

.....वादीगण

बनाम

1. विधासिंह पुत्र कैलीराम
2. कमलसिंह पुत्र कैलीराम
3. मिट्ठूसिंह पुत्र कैलीराम
4. श्रीमती अंगूरी पत्नि टीकम
5. नरेश पुत्र टीकम



सभी जाति गूजर निवासी गाजीपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान।

6. बहादुर पुत्र हरीसिंह — श्रीमती करई(पुत्री) परसादी जाति गूजर निवासी महमदपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान।

7. भूदेई पुत्री रामजीलाल
8. बंदना पुत्री रामजीलाल
9. मौनू पुत्र रामजीलाल

जाति गूजर निवासी पठानपाडा कस्बा बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान

10. रामपति पुत्री रामजीलाल
11. किन्ना पुत्री रामजीलाल

जाति गूजर निवासी बंगसपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर

12. कारे पुत्र रामजीलाल
13. जीवन पुत्र रामजीलाल
14. दक्खो पत्नि देवीसिंह
15. लेखराज पुत्र देवीसिंह
16. अतर पुत्र देवीसिंह

जाति गूजर निवासी नगला सिंघाडा तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान।

17. गंगा पुत्री देवीसिंह जाति गूजर निवासी नगला खटका तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान।

18. मुकुट पुत्र रजोले
19. बिहारी पुत्र रजोले
20. परमा पुत्र रजोले

जाति गूजर निवासी तिया का नगला (ब्रह्मवाद) तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान।

21. शीला पुत्री रजोले जाति गूजर निवासी वमनपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान।

— मूल प्रतिवादीगण

22. बनैसिंह पुत्र पदम जाति गूजर निवासी गाजीपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान

23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर राजस्थान।

— शोभनार्थ प्रतिवादीगण

फोटो प्रति प्रमाणित

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)
Page 1

वाद घोषणा, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

जुगत
उपखण्ड अधिकारी
बयाना / भरतपुर

मुकदमानम्बर:-16/24

1. विधासिंह उर्फ विधाराम पुत्र स्व0 कैलीराम
2. कमलसिंह पुत्र स्व0 कैलीराम
3. मिदूंसिंह पुत्र स्व0 कैलीराम

सभी जाति गुर्जर, निवासी ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर

.....वादीगण

बनाम

1. देवीसिंह पुत्र स्व0 रतन
2. सीताराम पुत्र स्व0 रतन
3. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 रतन
4. प्रताप पुत्र स्व0 रतन
5. राकेश पुत्र स्व0 रतन

सभी जाति गुर्जर, निवासी ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर

—मूलप्रतिवादीगण

6. श्रीमती पत्नि स्व0 टीकम
7. नरेश पुत्र स्व0 टीकम
8. बनैसिंह पुत्र पदम

सभी जाति गुर्जर, निवासी ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर

—शोभनार्थ प्रतिवादीगण

वाद स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188
राजस्थान टीनेन्सी एक्ट0



निर्णय

दिनांक:- 13/4/26

नोट:- दोनो प्रकरणों की विषयवस्तु समान होने के कारण निर्णय एक साथ किया जा रहा है।
निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में शामिल की जावें।

उपस्थिति:-

1. श्री महेन्द्र भूषण शर्मा एड0
2. श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा एड0

मुकदमानम्बर:-215/23

वादीगण द्वारा यह दावावाद घोषणा, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 व 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण कॉमन एनसेस्टर्स (पूर्वज) देवला पुत्र माते के वंशज है। पक्षकारान का सजरा दावा के माध्यम से पेश किया गया है। वादीगण एवं मूल प्रतिवादीगण के कॉमन एनसेस्टर्स (पूर्वज) देवला ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना के खेवट में वर्णित आराजी बतौर मालिक काश्तकार व काबिज थे। ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना की जमाबन्दी सम्वत 2076-79 में दर्ज नवीन खाता संख्या 34 में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान 577 रकवा 0.39, 578 रकवा 0.25, 579 रकवा 0.12, 580 रकवा 0.15, 627 रकवा 0.30, 628 रकवा 0.30, 654 रकवा 0.22, 857/1132 रकवा 0.01 हैक्ट. स्थित है। इसी प्रकार नवीन खाता संख्या 98 में वर्णित खसरा नम्बर 260 रकवा 0.80 हैक्ट. ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना में स्थित है। नवीन खसरा नम्बरान जिन साविक खसरा नम्बरान से बनाये गये है उनका मिलान, मिलान क्षेत्रफल के अनुसार निम्न प्रकार है।

नवीन खसरा नम्बरान

साविक खसरा नम्बर

577 रकवा 0.39 हैक्ट.

578 रकवा 0.25 हैक्ट.

579 रकवा 0.12 हैक्ट.

580 रकवा 0.15 हैक्ट.

626 रकवा 0.30 हैक्ट.

390/248 रकवा 5 बीघा

246 रकवा 3 बीघा 15 विस्वा

फोटो प्रति

उपखण्ड अधिकारी

बयाना (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

628 रकवा 0.30 हैक्ट.

654 रकवा 0.22 हैक्ट.

857 / 1132 रकवा 0.01 हैक्ट.

260 रकवा 0.80 हैक्ट.

386 / 173 रकवा 1 बीघा 6 विसवा

193

140 गिन

दावा में वर्णित आराजी, वादीगण एवं मूल प्रतिवादीगण की घरू खेवट की पैत्रिक आराजी है। ढाल बोंछ जमाबन्दी सम्वत् 2003 व 2005 में खेवट संख्या 9 में दर्ज है। जिसमें रतन पुत्र बुद्धा चौथाई, परसादी पुत्र देवला चौथाई के अर्थात् निस्फ के मालिक व काशतकार दर्ज है। शेष निस्फ हिस्सा धूपसिंह, जौहरी, पदम, रमेश, गुट्टल के नाम दर्ज है। शेष निस्फ पूर्व की जमाबन्दी सम्वत् 1985 में कॉमन एनसेस्टर्स देवला निस्फ हिस्सा का मालिक व काशतकार एवं खुदकाशत दर्ज है। विवादित आराजी वादीगण प्रतिवादीगण के पूर्वजों रतन व परसादी को कॉमन एनसेस्टर्स देवला से प्राप्त हुई थी। विवादित आराजी में निस्फ हिस्से में रतन व निस्फ हिस्से में परसादी वहैसियत मालिक काशत करते एवं काबिज चले आ रहे थे। आराजी उनकी खुदकाशत की आराजी थी। राजस्थान काशतकारी अधिनियम लागू होने पर उन्हें उक्त अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त थे। रतन का स्वर्गवास हो चुका है, वादीगण उक्त रतन के वारिसान है तथा परसादी का भी स्वर्गवास हो चुका है, मूल प्रतिवादीगण परसादी के वंशज है। वादीगण एवं मूल प्रतिवादीगण को विवादित आराजी पूर्वजों से प्राप्त हुई है। खाता संख्या 34 वर्णित आराजी खसरा नम्बरान में वादीगण मिलकर निस्फ हिस्से के खातेदार काशतकार एवं काबिज है। वादीगण उक्त निहित निस्फ हिस्से को काशत कर अपने उपयोग व उपभोग में लेते चले आ रहे हैं तथा शेष निस्फ हिस्से में मूल प्रतिवादीगण मिलकर खातेदार काशतकार एवं काबिज है, अर्थात् मूल प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 मिलकर बहिस्सा बराबर 1/8 हिस्से के व मूल प्रतिवादी संख्या 4 व 5 बहिस्सा बराबर 1/8 हिस्से के खातेदार काशतकार एवं काबिज है उक्त आराजी में श्रीमती किस्तूरी पुत्री परसादी 1/8 हिस्से की खातेदारी थी जिसकी मृत्यु हो चुकी है। मूल प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 21 मृतक किस्तूरी के वारिसान है। उक्त सभी मिलकर 1/8 हिस्से के खातेदार है तथा करई पुत्री परसादी की भी मृत्यु हो चुकी है, जिसके एक मात्र पुत्र मूल प्रतिवादी संख्या 6 बहादुर व एक पुत्री श्रीमती लीलादेवी थी। उक्त विवादित आराजी में मूल प्रतिवादी संख्या 6 बहादुर 1/16 हिस्से में मूल प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 11 खातेदार है। इसी प्रकार खाता संख्या 98 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 260 रकवा 0.60 हैक्ट में वादीगण 1/2 दर 1/2 अर्थात् 1/4 हिस्से के खातेदार काशतकार एवं काबिज है तथा मूल प्रतिवादीगण 1/2 दर 1/2 अर्थात् 1/4 हिस्से के खातेदार काशतकार एवं काबिज है शेष 1/2 हिस्से का मूल प्रतिवादी संख्या 22 बनैसिंह पुत्र पद खातेदार काशतकार एवं काबिज है। वादीगण एवं मूल प्रतिवादीगण के मध्य ऊपर वर्णित निहित हिस्से के अनुसार विवादित आराजी का वाई मीटस एवं बाऊण्डस् विभाजन नहीं हुआ है। पक्षकारान ऊपर वर्णित निहित हिस्से के अनुसार आराजी को संयुक्त रूप से काशत करते एवं काबिज चले आ रहे हैं तथा फसल को उपयोग व उपभोग में लेते चले आ रहे हैं। परसादी, वादीगण के बाबा बुद्धा का सगा बडा भाई था। देवला की मृत्यु के बाद बडा भाई होने से परसादी परिवार का कर्ता धर्ता रहे है। वादीगण के पिता रतन सीधे चादे अनपढ व्यक्ति थे। कर्त खानदान होने के साथ ही परसादी चतुर चालाक किस्म का व्यक्ति था जिन्होंने बेईमानी से राजस्व अधिकारी व कर्मचारियों से साज करके विवादित आराजी का रतन एवं परसादी के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी का इन्द्राज की बजाय राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीगण व उनके पिता की जानकारी के अभाव में न्यारान्यूर खातेदारी का इन्द्राज अपने नाम करवा लिया था। उक्त गलत व अवैध रूप से हो रही खातेदारी के इन्द्राज की आड में मूल प्रतिवादीगण ने वादीगण को दिनांक 31.08.2023 को धमकी दी है कि उक्त आराजी को अब तक तुमने हिस्से भाग को जोता बोया है व फसल को उपयोग उपभोग में लिया है, परन्तु उक्त विवादित आराजी की खातेदारी का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हमारे नाम दर्ज है अब हम वादीगण को उनके निहित 1/2 हिस्से को काशत नहीं करने देंगे तथा उक्त निहित भाग में जुती बुबी फसल को नष्ट व बरवाद कर आराजी के सम्पूर्ण भाग पर न्यारान्यूर जबरन कब्जा कर वादीगण को निहित 1/2 भाग से बेदखल कर देंगे तथा वादीगण को आराजी को किसी भी भाग को शान्तिपूर्वक काशत कर उपयोग व उपभोग में नहीं लेने देंगे।

फोटो प्रति

उपरोक्त अधिकारी
बयान (भरतपुर)
Page | 3

उपरोक्त अधिकारी
बयान (भरतपुर)

मूल प्रतिवादीगण द्वारा धमकी दिये जाने पर वादीगण ने राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी की तकलीफें प्राप्त की तब वादीगण को मूल प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण के नाम हो रहे गलत इन्द्राज स्पष्ट जानकारी हुई है। यदि मूल प्रतिवादीगण अपनी धमकी व मंशा में सफल हो जाते हैं तो वादीगण को बहुत ही ज्यादा अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से नगद रूपये पैसो से नहीं हो सकेगी ऐसी स्थिति में वादीगण को विवादित आराजी में निहित अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा न्यायालय से कराया जाना आवश्यक हो गया है। मूल प्रतिवादीगण विवादित आराजी में वर्णित खण्ड संख्या 3 में खाता संख्या 34 में वर्णित आराजी में वादीगण मिलकर निस्फ हिस्से के एवं खाता संख्या 98 में वर्णित आराजी नम्बर 280 रकवा 0.80 हैक्ट. स्थित ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना में वादीगण निस्फ दर निस्फ यानि 1/4 हिस्से के खातेदार काश्त व काबिज है, तथा उक्त घोषित हिस्से के अनुसार वादीगण राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज काराने का अधिकारी है। साथ ही बनैसिंह आराजी खसरा नम्बर 280 में सह खातेदार दर्ज होने एवं राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर होने से तहसीलदार बयाना मुकदमें में आवश्यक पक्षकार है इनके विरुद्ध किसी प्रकार की सहायता नहीं चाही जा रही है।

अन्त में वादीगण का दावा विरुद्ध मूल प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री किये जाने कि घोषणा इस आशय की जावे कि विवादित आराजी वर्णित खण्ड संख्या 3 में खाता संख्या 34 में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान 577 रकवा 0.39, 578 रकवा 0.25, 579 रकवा 0.12, 580 रकवा 0.15, 627 रकवा 0.30, 628 रकवा 0.30, 654 रकवा 0.22, 857 / 1132 रकवा 0.01 हैक्ट. स्थित ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना में वादीगण मिलकर बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार एवं काबिज है तथा मूलप्रतिवादीगण उक्त आराजी में निस्फ हिस्से के खातेदार काश्तकार है। आराजी में मूल प्रतिवादीगण के नाम दर्ज न्यारान्यूर खातेदारी इन्द्राज को कलमजन कर वादीगण को निस्फ हिस्से का व मूल प्रतिवादीगण को निस्फ हिस्से का रिकार्ड में खातेदारी इन्द्राज किया जाने तथा विवादित आराजी में वादीगण को 1/4 हिस्से का व मूल प्रतिवादीगण के नाम 1/4 हिस्से की खातेदारी का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किये जाने विवादित आराजी को उक्त घोषणा में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन कराया जाकर उनके उक्त निहित हिस्से के अनुसार पृथक-पृथक कुरे बनाये जाकर उन पर उनको पृथक-पृथक कब्जा व दखल दिलाये जाने का निवेदन किया है।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 28.03.2024 को मूल प्रतिवादी संख्या 4 व 5 व शोभनार्थ अप्रार्थी संख्या 22 की ओर से अपना जबाव दावा पेश कर दावा में वर्णित सजरा को स्वीकार किया गया है। वर्णित खेवट की आराजी कॉमन एनसेस्टर्स (पूर्वज) होना स्वीकार किया है। वर्णित आराजी ग्राम गाजीपुर में स्थित होना स्वीकार किया है। वर्णित आराजी वादीगण व मूल प्रतिवादीगण की घरू खेवट की पैत्रिक आराजी होना स्वीकार किया गया है। विवादित आराजी का पूर्वज रतन व परसादी को कॉमन एनसेस्टर्स देवला से प्राप्त होना स्वीकार किया गया है। विवादित आराजी में रतन व परसादी हिस्सेदार बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार एवं काबिज थे। उन्हें बहिस्सा बराबर के खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम काश्तकारी अधिनियम व हिन्दू उत्तराधिकार के तहत प्राप्त थे, एवं अधिकाश मदों को स्वीकार किया गया है। अपने विशेष विवरण में इन्होंने अंकित किया है विवादित आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजों की घरू खेवट की पैत्रिक आराजी है। खेवट नम्बर 9 में रतन बल्द बुद्धा 1/4 हिस्से व परसादी बल्द देवला 1/4 हिस्से के हिस्सेदार ढाल बांछ जमाबन्दी 2003-2005 में दर्ज जमाबन्दी सम्बत 1985 में पूर्वज देवला उक्त आराजी खुद काश्त दर्ज थे। अर्थात विवादित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैत्रिक आराजी है। बुद्धा, देवला के जीवनकाल में स्वर्गवास हो गया था। अतः विवादित आराजी रतन व परसादी को बहिस्सा बराबर विरासत में प्राप्त हुई थीं। वादीगण के पिता रतन एवं देवला विवादित आराजी में बहिस्सा बराबर के खातेदार पिता रतन एवं देवला विवादित आराजी में बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार एवं काबिज है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 मृतक टीकम के वारिस है। खाता संख्या 34 में वर्णित आराजी में बहिस्सा बराबर 1/8 हिस्से के खातेदार काश्तकार एवं काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 मिलकर बहिस्सा बराबर के 1/8 हिस्से के, प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 21 मृतक किस्तूरी के वारिस है। विवादित आराजी में प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 21 बहिस्सा

फोटो प्रति प्रमाणित

उपरोक्त अधिकारी

बयाना (भरतपुर)

Page 4

बराबर 1/8 हिस्से के खातेदार काश्तकार एवं काबिज है। मूल प्रतिवादी संख्या 6 बहादुर विवादित आराजी में 1/16 हिस्से का खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है, तथा प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 11 बहिस्सा बराबर 1/16 हिस्से के खातेदार काश्तकार व काबिज है। खाता संख्या 98 में वर्णित आराजी में वादीगण 1/2 दर 1/2 अर्थात् 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार व काबिज है। 1/4 हिस्से में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 21 खातेदार काश्तकार एवं-काबिज है, तथा प्रतिवादी संख्या 22 बनैसिंह 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार एवं काबिज है। वादीगण व प्रतिवादीगण उक्त निहित हिस्से के अनुसार अब तक काश्त करते व काबिज चले आ रहे है तथा अपने-अपने हिस्से के अनुसार शान्तिपूर्वक आराजी की फसल को उपयोग व उपभोग में लेते ले आ रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में रतन व परसादी के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी के इन्द्राज की बजाय गलती व भूल से राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने परसादी के नाम न्यारान्यूर खातेदारी का इन्द्राज गलत व अवैध रूप से दर्ज हो गया है। जबकि विवादित आराजी में परसादी कानूनन न्यारान्यूर खातेदार काश्तकार एवं काबिज नहीं है। गलत खातेदारी इन्द्राज की आड में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व 6 लगायत 21 उक्त आराजी को वादीगण को शान्तिपूर्वक काश्त नहीं करने देने की धमकी दे रहे है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी में वादीगण खाता संख्या 34 में निहित निस्फ एवं खाता संख्या 98 में 1/4 हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने में हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं है।

दिनांक 17.10.2024 को मूल प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से जबावदावा पेश कर दावा वादीगण की अंधिकाश मदों को अस्वीकार करते हुये अपने विशेष विवरण में अंकित किया है कि मूल प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 21 द्वारा अपने-अपने हिस्से की खातेदारी काश्तकारी की आराजी खाता संख्या 34 व 98 ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना के साथ-साथ अन्य आराजी की बाबत दिनांक 10.10.2023 को एक रिलीजडीड तहरीर करवाकर उसी दिन सब रजिस्टार बयाना के समक्ष मूल प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के हक में बहिस्सा बराबर रजिस्टर्ड करवाकर परित्याग/अन्तरित कर कब्जा दे दिया है जिसका नामान्तरण तस्दीक हो चुका है। इस प्रकार खाता संख्या 34 में वर्णित आराजी खसरा नम्बरारन 577 रकवा 0.39, 578 रकवा 0.25, 579 रकवा 0.15, 627 रकवा 0.30, 628 रकवा 0.36, 654 रकवा 0.22, 857/1132 रकवा 0.01 किता-8 कुल रकवा 1.74 हैक्ट. में मूल प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक 1/4-1/4 यानी कुल 3/4 हिस्से के एवं मूल प्रतिवादी संख्या 4 व 5 मिलकर 1/4 हिस्से के तथा खाता संख्या 98, खसरा संख्या 260 रकवा 0.80 हैक्ट. ग्राम गाजीपुर में मूल प्रतिवादी संख्या-1 लगायत 3 प्रत्येक 1/8-1/8 कुल 3/8 हिस्से के व मूल प्रतिवादी संख्या 4 व 5 प्रत्येक 1/16 व 1/16 कुल 1/8 हिस्से के व शोभनार्थ प्रतिवादी संख्या-22, 1/2 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। वादीगण की सगी बहन स्व0 श्रीमती सन्ता के वारिसान व दूसरी सगी बहन गीता को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है इसलिये वादपत्र में नौन जोइन्डर ऑफ पार्टीज का दोष विघमान है। वादीगण व मूल प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की माता मूल प्रतिवादिनी संख्या 4 श्रीमति अंगूरी है इसलिए वादीगण प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने आपस में कौलूजन करते हुए यह वाद हम मूल प्रतिवादीगण को परेशान करने की दुर्भावना से पेश किया है। विवादित आराजी पर अन्दर 12 वर्ष कोई कब्जा काश्त वादीगण का नहीं रहा है। अन्त में दावा वादीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

मुकदमा नम्बर:- 16/24

वादीगण द्वारा यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राज.टी.एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना की जमाबन्दी सम्वत 2076-79 में दर्ज नवीन खाता संख्या 34 में वर्णित आराजी खसरा नम्बरारन 577 रकवा 0.39, 578 रकवा 0.25, 579 रकवा 0.15, 627 रकवा 0.30, 628 रकवा 0.36, 654 रकवा 0.22, 857/1132 रकवा 0.01 किता-8 कुल रकवा 1.74 हैक्ट. में वादीगण प्रत्येक 1/4, 1/4 कुल 3/4 हिस्से रिकार्डेड खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है शेष 1/4 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार शोभनार्थ प्रतिवादी 6 व 7 है इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 260 रकवा 0.80 हैक्ट. ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना में वादीगण 1/8, 1/8 यानि 3/8 हिस्से के रिकार्डेड

फोटो प्रतिभाषण

उपस्थित अधिकारी
बयाना (गाजीपुर)

उपस्थित अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है एवं 1/8 हिस्से के शोभनार्थ प्रतिवादी संख्या 6 व 7 व 1/2 हिस्से का शोभनार्थ प्रतिवादी संख्या-8 रिकार्ड्ड खातेदार काश्तकार है। वादीगण ने अपनी उक्त खातेदारी काश्तकारी की आराजी में इस समय सरसों व गेहूँ की फसल बोई जो सरसब्ज खड़ी है। मूल प्रतिवादीगण का वादीगण व शोभनार्थ प्रतिवादीगण की खातेदारी की उक्त विवादित आराजी वर्णित खण्ड संख्या 2 वादपत्र या इसके किसी भाग से किसी प्रकार का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। मूल प्रतिवादीगण हमारी उक्त आराजी के न तो खातेदार काश्तकार है और न ही मूल प्रतिवादीगण का कोई कब्जा ही रहा है लेकिन प्रतिवादीगण बहुत ही जोर जबरदस्त लठैत व झगडालू किस्म के व्यक्ति है कि जिनका वादीगण मुकाबला करने में कतई असमर्थ है इसलिए मूल प्रतिवादीगण अपनी लाठी के दम पर हमारी उक्त आराजी पर अनाधिकृत व अवैधानिक रूप से नाजायज कब्जा करने पर ऊतारू हो गये है जिसके इरादे की पूर्ति के लिए जब हम वादीगण दिनांक 03.01.2024 को अपनी उक्त आराजी की फसल की देखभाल करने के लिए गये तो मूल प्रतिवादीगण लाठी, डन्डे लेकर मौके पर आ गए और उन्होंने खुले आम ऐलानिया धमकी दी कि हमारी लाठी में ताकत है हम तुम्हें इस आराजी को फसल नहीं काटने देंगे एवं लट्ठ के बल पर जबरदस्ती तुम्हारी डौल मेंडों को तोडकर तुम्हारी फसल को नष्ट व बर्बाद कर देंगे एवं इस आराजी पर कब्जा कर तुम्हें जबरदस्ती से बेदखल करके रहेंगे तुम्हें उक्त आराजी का आगे कोई उपयोग-उपभोग नहीं करने देंगे जिसका मूल प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण अपनी उक्त नाजायज मंशा व धमकी में सफल हो गये तो वादीगण व शोभनार्थ प्रतिवादीगण अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त विवादित आराजी उपयोग उपभोग व हकूको से सदैव के लिए वंचित हो जावेगें।

अन्त में दावा वादीगण निम्न प्रकार डिक्री किये जाने कि मूलप्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण व शोभनार्थ प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 577 रकवा 0.39, 578 रकवा 0.25, 579 रकवा 0.15, 627 रकवा 0.30, 628 रकवा 0.36, 654 रकवा 0.22, 857/1132 रकवा 0.01 किता-8 कुल रकवा 1.74 हैक्ट. स्थित ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना में वादीगण व शोभनार्थ प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत नहीं करें। एवं वादीगण व शोभनार्थ प्रतिवादीगण की डौल मेंडों को नहीं तोडें मौके की यथास्थित बनाये रखे का निवेदन किया गया है।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 22.07.2024 को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 की ओर से जबाव दावा पेश कर दावा में वर्णित अधिकांश मदों को अस्वीकार किया है और अपने विशेष विवरण में अंकित किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण कॉमन एनसेस्टर्स (पूर्वज) देवला पुत्र माते के वंशज है जिसका जबाव दावा में सजरा प्रर्दशित किया है। वादीगण एवं मूल प्रतिवादीगण के कॉमन एनसेस्टर्स (पूर्वज) देवला ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना के खेवट में वर्णित आराजी में बतौर मालिक काश्तकार व काबिज थे। ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना की जमाबन्दी सम्वत-2076-79 में दर्ज नवीन खाता संख्या 34 में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान 577 रकवा 0.39, 578 रकवा 0.25, 579 रकवा 0.12, 580 रकवा 0.15, 627 रकवा 0.30, 628 रकवा 0.30, 654 रकवा 0.22, 857/1132 रकवा 0.01 हैक्ट. स्थित है। इसी प्रकार नवीन खाता संख्या 98 में वर्णित खसरा नम्बर 260 रकवा 0.80 हैक्ट. ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना में स्थित है। नवीन खसरा नम्बरान जिन साविक खसरा नम्बरान से बनाये गये है उनका मिलान, मिलान क्षेत्रफल-के अनुसार निम्न प्रकार है।

नवीन खसरा नम्बरान

साविक खसरा नम्बर

577 रकवा 0.39 हैक्ट.

390/248 रकवा 5 बीघा

578 रकवा 0.25 हैक्ट.

579 रकवा 0.12 हैक्ट.

580 रकवा 0.15 हैक्ट.

626 रकवा 0.30 हैक्ट.

246 रकवा 3 बीघा 15 विस्वा

628 रकवा 0.30 हैक्ट.

फोटो प्रति
उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

रकवा 0.22 हैक्ट. |
57/1132 रकवा 0.01 हैक्ट. |
260 रकवा 0.80 हैक्ट. |

386/173 रकवा 1 बीघा 6 विसवा
193
140 मिन

दावा में वर्णित आराजी, वादीगण एवं मूल प्रतिवादीगण की घरू खेवट की पैत्रिक आराजी है। डाल बॉछ जमाबन्दी सम्वत् 2003 व 2005 में खेवट संख्या 9 में दर्ज है। जिसमें रतन पुत्र बुद्धा चौथाई, परसादी पुत्र देवला चौथाई के अर्थात निस्फ के मालिक व काशतकार दर्ज है। शेष निस्फ हिस्सा धूपसिंह, जौहरी, पदम, रमेश, गुट्टल के नाम दर्ज है। शेष निस्फ पूर्व की जमाबन्दी सम्वत् 1985 में कॉमन एनसेस्टर्स देवला निस्फ हिस्सा का मालिक व काशतकार एवं खुदकाशत दर्ज है। विवादित आराजी वादीगण के पूर्वजों रतन व परसादी को कॉमन एनसेस्टर्स देवला से प्राप्त हुई थी। विवादित आराजी में निस्फ हिस्से में रतन व निस्फ हिस्से में परसादी व हैसियत मालिक काशत करते एवं काबिज चले आ रहे थे। आराजी उनकी खुदकाशत की आराजी थी। राजस्थान काशतकारी अधिनियम लागू होने पर उन्हें उक्त अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त थे। वादीगण व शोभनार्थ प्रतिवादीगण परसादी हिस्सेदार के तथा मूल प्रतिवादीगण रतन हिस्सेदार के वारिसान है। वादीगण व शोभनार्थ प्रतिवादीगण एवं मूल वादीगण को विवादित आराजी में निहित निस्फ-निस्फ हिस्सों पूर्वजों से प्राप्त हुआ है। खाता संख्या 34 में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान में मूल प्रतिवादीगण मिलकर निस्फ हिस्से के खातेदार काशतकार व काबिज है। उक्त निहित हिस्से को काशत कर अपने उपयोग व उपभोग में लेते चले आ रहे हैं तथा शेष निस्फ हिस्से में वादीगण व शोभनार्थ प्रतिवादीगण मिलकर खातेदार काशतकार एवं काबिज है, तथा निहित हिस्से के अनुसार मनबट कर रखा है। उसके अनुसार वादीगण एवं मूल प्रतिवादीगण अपने-अपने भाग पर पूर्वजों के समय से ही काबिज होकर असल को काशत कर उपयोग व उपभोग में लेकर पैदावार प्राप्त कर रहे हैं, तथा आराजी खसरा नम्बर 260 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण मिलकर निस्फ हिस्से के खातेदार काशतकार व काबिज है, अर्थात आराजी खसरा नम्बर 260 के निस्फ हिस्से के 1/2 भाग पर वादीगण प्रार्थीगण व 1/2 भाग पर मूल प्रतिवादीगण व हैसियत खातेदार काशत करते चले आ रहे हैं। तथा शेष 1/2 भाग पर बनेसिंह पुत्र पदम जाति गूजर निवासी खातेदार काशतकार व काबिज है। मूल प्रतिवादीगण के पिता रतन सीधे-सादे अनपढ व्यक्ति थे। जबकि परसादी प्रतिवादीगण के पिता चतुर चालाक व्यक्ति एवं संयुक्त परिवार का कर्ता धर्ता रहा है। परसादी ने बेईमानी से प्रतिवादीगण के आराजी में निहित खातेदारी अधिकारों से वंचित कराने के आशय से राजस्व कर्मचारियों व पटवारी की मिली भगत से खातेदारी का इन्द्राज न्यारान्यूर अपने नाम गलत व अवैध रूप से करा लिया था। अन्त में दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरणों में दावा जबाव के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गये:-

मुकदमा नम्बर:- 215/13

1. आया वाद पत्र की खण्ड संख्या 03 में वर्णित आराजी वाके ग्राम गार्जापुर तहसील बयाना में निस्फ हिस्से का देवला मालिक व खातेदार काशतकार था, उक्त आराजी घरू खेवट की आराजी है।
2. आया परसादी, वादीगण के बाबा बुद्धा का सगा भाई था एवं देवला की मृत्यु के बाद बडा भाई होने के कारण परसादी परिवार का कर्ता धर्ता था।
3. आया वादपत्र की खण्ड संख्या 08 अनुसार प्रति0 असल ने वादी को धमकी दी है।
4. आया उत्तरवाद की खण्ड संख्या 15 अनुसार विवादित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैत्रिक आराजी है वादीगण/प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से पर काबिज है।
5. आया उत्तरवाद की खण्ड संख्या 16 अनुसार वाद में नोन जोइण्डर आफ पार्टीज का दोष विद्यमान है।
6. दादरसी

मुकदमा नम्बर:-16/24

फोटो प्रति प्रमाण आया वादपत्र के खण्ड संख्या 01 अनुसार वादीगण व शोभनार्थ प्रतिवादीगण विवादित आराजी में निहित हिस्सानुसार खातेदार काशतकार काबिज आराजी है।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

2. आया मूल प्रतिवादीगण ने वादीगण को दिनांक 03.01.24 मद सं0 2 अनुसार धमकी दी।
3. आया उत्तरवाद की खण्ड संख्या 12 अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के कामन एनसेस्ट(पूर्वज) देवला विवादित आराजी में बतौर मालिक काश्तकार व काबिज थे।
4. आया उत्तरवाद की खण्ड संख्या 15 अनुसार राज0 काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर खातेदारी अधिकारी प्रतिवादीगण को प्राप्त हो गए।
5. आया उत्तरवाद की खण्ड संख्या 17 अनुसार वादीगण का दावा खारिज योग्य है।
6. दादरसी

मुकदमा नम्बर 215/23 - वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबन्दी सम्वत 2076-79 ग्राम गाजीपुर, प्रदर्श 2 जमाबन्दी सम्वत-2076-79 ग्राम गाजीपुर, प्रदर्श 3 मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग, ग्राम गाजीपुर, प्रदर्श 4 जमाबन्दी (खेवट खतौनी) सम्वत 2017 ग्राम गाजीपुर, प्रदर्श 5 जमाबन्दी (खेवट खतौनी) सम्वत 2019 ग्राम गाजीपुर, प्रदर्श 6 जमाबन्दी (खेवट खतौनी) सम्वत 2013 ग्राम गाजीपुर, प्रदर्श 7 जमाबन्दी (खेवट खतौनी) सम्वत 2013 ग्राम गाजीपुर, प्रदर्श 4 जमाबन्दी (खेवट खतौनी) सम्वत 2017 ग्राम गाजीपुर, प्रदर्श 8 ढालबाछ मोजा गाजीपुर सम्वत 2003, प्रदर्श-9 ढालबाछ मोजा गाजीपुर सम्वत 2005, प्रदर्श 10 जमाबन्दी मौजा गाजीपुर सम्वत 1985, प्रदर्श 11 जमाबन्दी मौजा गाजीपुर सम्वत 1985, प्रदर्श 12 जमाबन्दी खेवट खतौनी मौजा गाजीपुर सम्वत 1995, प्रदर्श 13 जमाबन्दी मौजा गाजीपुर सम्वत 1995, प्रदर्श 14 जमाबन्दी मौजा गाजीपुर सम्वत 1995, प्रदर्श 15 जमाबन्दी सम्वत 2076-79, प्रदर्श 16 जमाबन्दी सम्वत 2076-79 व मौखिक साक्ष्य के रूप में पी.ड.1 देवीसिंह, पी.ड. 2 बनैसिंह, पी.ड.3 नरेश ने शपथ पत्र पेश किये।

प्रतिवादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श ए1 जमाबन्दी सम्वत 2076-79 ग्राम गाजीपुर, प्रदर्श ए2 जमाबन्दी खेवट खतौनी सम्वत 2019, जमाबन्दी सम्वत 2017 ग्राम गाजीपुर एवं मौखिक साक्ष्य के रूप में डी.ड. 1 विद्यासिंह, डी.ड.2 लेखराज के शपथ पत्र पेश किये।

मुकदमा नम्बर 16/24

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबन्दी सम्वत 2076-79 ग्राम गाजीपुर, प्रदर्श 2 जमाबन्दी सम्वत 2076-79 ग्राम गाजीपुर एवं मौखिक साक्ष्य के रूप में पी.ड. 1 विद्यासिंह, पी.ड. 2 बहादुर, पी.ड. 3 लेखराजसिंह के शपथ पत्र पेश किये।

प्रतिवादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श ए1 जमाबन्दी खेवट खतौनी सम्वत 2009-2012, प्रदर्श ए2 रिपोर्ट पटवारी प्रार्थना पत्र श्री देवीसिंह निवासी गाजीपुर तहसील बयाना, प्रदर्श ए3 मुकदमा नम्बर 249/25 उनवान देवीसिंह बनाम विद्यासिंह अन्तर्गत धारा 126-135 बीएनएसएस, प्रदर्श ए4 इस्तगासा प्रार्थना पत्र देवीसिंह बनाम विद्यासिंह अन्तर्गत धारा 126, 135, 170 बीएनएसएस एवं मौखिक साक्ष्य के रूप में डी.ड.1 देवीसिंह, डी.ड. 2 नरेश के शपथ पत्र पेश किये।

हमने हरदो मुकदमान में विद्वान अभिभाषकगण को सुना। विद्वान अभिभाषकगणों ने अपने-अपने समर्थन में दावा, जबाव दावा एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा।

हमने पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात, मौखिक साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन किया।

उक्त के आधार पर तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है:-

मुकदमा नम्बर 215/23

तनकी नम्बर 1- आया वाद पत्र की खण्ड संख्या 03 में वर्णित आराजी वाकें ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना में निस्फ हिस्से का देवला मालिक व खातेदार काश्तकार था, उक्त आराजी घरू खेवट की आराजी है:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का है वादीगण द्वारा प्रदर्श 4 जमाबन्दी (खेवट खतौनी) सम्वत 2019 ग्राम गाजीपुर, प्रदर्श 5 जमाबन्दी (खेवट खतौनी) सम्वत 2019 ग्राम गाजीपुर, के अनुसार

फोटो प्रति प्रमाणित

उपरोक्त आराजी बयाना (भरतपुर)

कॉलम संख्या 04 भूमि अधिकारी, जागीरदार और मालगुजार विश्वेदार जमींदार में रतन बल्द बुद्धा (चौथाई) परसादी बल्द देवला (चौथाई) कौम गुर्जर विवादित आराजी के साविक खसरा नम्बरान 193, 286, 386/173, 390/248, 140 दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श 10 जमाबन्दी मौजा गाजीपुर सम्वत 1985, के अनुसार नाम मालिक मय अहवाल के कॉलम संख्या 4 में देवला बल्द माते नीस्फ कौम गूजर साकिन देह खसरा नम्बर 140 हाल साविक 270, हाल 246 साविक 180 में खुदकाशत देवला हिस्सेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श 8 ढालबॉछ मोजा गाजीपुर सम्वत 2003, प्रदर्श 9 ढालबॉछ मोजा गाजीपुर सम्वत 2005 में नाम मालिक मय अहवाल में रतन बल्द बुद्धा चौथाई एवं परसादी बल्द देवला चौथाई विवादित खसरा नम्बरान के साविक खसरा नम्बरान में अंकित है। प्रदर्श 13 जमाबन्दी मौजा गाजीपुर सम्वत 1995, प्रदर्श 14 जमाबन्दी मौजा गाजीपुर सम्वत 1995 अनुसार नाम मालिक व अहवाल के कॉलम में देवला बल्द माते चौथाई व नाम काशतकार व अहवाल के कॉलम में खुदकाशत बुद्धा व परसादी पिसरान देवला वहिस्सा बराबर हिस्सेदार व हैसियत गो मों सभी दर्ज रिकार्ड है। पी.ड. 1- देवीसिंह पुत्र रतन ने अपने बयान में दर्ज कराया है कि उक्त आराजी पैतृक आराजी थी। बुद्धा व परसादी की थी। जो देवला से आई थी। वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज देवीसिंह के बाबा बुद्धा, बुद्धा का रतन अकेला था। शपथ पत्र में मद संख्या 1 में 14 वी लाईन में जो खसरा नम्बर है वह देवला के नाम था। संवत 1985 में था। उसके बाद में भी था। पी.ड. 2 बनैसिंह पुत्र पदम ने अपने बयान दर्ज कराये है कि देवला मेरे बाबा लगते थे। बुद्धा व परसादी भी मेरे बाबा लगते थे। देवला बडबाबा था। देवला की मृत्यु कब हुई ये मुझे नहीं पता। परसादी का स्वर्गवास मेरे सामने हुआ। बुद्धा का मेरे सामने नहीं हुआ। विवादित खेत का नंबर मुझे याद नहीं है। विवादित आराजी में पहले तो दोनों बुद्धा व परसादी हिस्सेदार थे। अब दोनों का कब्जा बराबर का है। पी.ड. 3 नरेश पुत्र टीकम ने बयान दर्ज कराये है कि देवला की मृत्यु कब हुई मुझे पता नहीं है। लेकिन देवला मेरे बाबा है। बुद्धा की कब मृत्यु हुई यह भी मैं नहीं बता सकता। रतन की कब मृत्यु हुई मुझे पता नहीं है। डी.ड. 1 विद्यासिंह पुत्र कैली बयान दर्ज कराये है कि मेरे बाबा का नाम परसादी था। वादीगण के बाबा का नाम बुद्धा हो तो मुझे पता नहीं है। रतन परिवार में ताउ लगता था। रतन के पिता का नाम बुद्धा हो तो मुझे पता नहीं है। परसादी के पिता का नाम मुझे पता नहीं। परसादी व बुद्धा के पिता का नाम देवला हो तो हमें पता नहीं। देवला के दो लडके बुद्धा और परसादी सगे भाई हो तो मुझे पता नहीं। उक्त जमीन देवला की छोड़ी हुई हो तो मुझे पता नहीं। ये कहना गलत है कि देवला के बाद जमीन परसादी व रतन को प्राप्त हुई हो बल्कि परसादी को मिली थी। उक्त जमीन परसादी की खरीदशुदा जमीन नहीं थी घरेलू थी। उक्त विवादित जमीन 12-13 बीघे है। पुरखाओं को छोड़ी हुई जमीन 14 बीघे जमीन एक है और 12 बीघे जमीन एक है। 14 बीघे व 12 बीघे को हम अलग से जोत बो रहे है। उक्त जमीन देवला की खुदकाशत की हो तो मुझे पता नहीं। यह सही है कि यह जमीन मेरे बाबा के घरू खेवट की जमीन थी। मुझे पता नहीं कि घरू खेवट की जमीन में चौथाई में रतन व चौथाई में परसादी और आधे में धूपसिंह जौहरी पदम रमेश व गुठठल के नाम रही हो। ये सही है कि वादीगण रतन के वारिस है। यह कहना गलत है कि रतन व परसादी के वारिस आधे आधे के हिस्सेदार हो। रतन कब मरा मुझे पता नहीं। परसादी 30 साल पहले मरा। डी.ड.2 लेखराज पुत्र देवीसिंह ने बयान दर्ज कराये है कि परसादी व बुद्धा सगे भाई हो तो मुझे पता नहीं। परसादी व बुद्धा के पिता का नाम देवला हो तो मुझे पता नहीं। ये जमीन पुरखान से चली आ रही है। उक्त जमीन मेरी दादी किस्तूरी या उनके पुत्र परसादी की खरीदी हुई नहीं है। ये जमीन दो खातो में हो तो मुझे पता नहीं। उक्त विवेचन से सिद्ध है कि वाद पत्र की खण्ड संख्या 03 में वर्णित आराजी वाके ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना में निस्फ हिस्से का देवला मालिक व खातेदार काशतकार था, उक्त आराजी घरू खेवट की आराजी है। अतः यह तनकी पक्ष वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।



फोटो प्रति प्रमाणित

खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

उपस्थित
अधिकारी
भरतपुर

तनकी नम्बर 2:- आया परसादी, वादीगण के बाबा बुद्धा का सगा भाई था एवं देवला-
की मृत्यु के बाद बडा भाई होने के कारण परसादी परिवार का कर्ता धर्ता था।- इस
तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का है। दिनांक 28.03.2024 को मूल प्रतिवादी
संख्या 4 व 5 व शोभनार्थ अप्रार्थी संख्या 22 की ओर से अपना जबाव दावा पेश कर
दावा में वर्णित सजरा को स्वीकार किया गया है। वर्णित खेवट की आराजी कॉमन
एनसेस्टर्स (पूर्वज) होना स्वीकार किया है। वर्णित आराजी ग्राम गाजीपुर में स्थित-
होना स्वीकार किया है। वर्णित आराजी वादीगण व मूल प्रतिवादीगण की घरू खेवट
की पैत्रिक आराजी होना स्वीकार किया गया है। विवादित आराजी का पूर्वज रतन व
परसादी को कॉमन एनसेस्टर्स देवला से प्राप्त होना स्वीकार किया गया है। विवादित
आराजी में रतन व परसादी हिस्सेदार बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार एवं
काबिज थे। उन्हें बहिस्सा बराबर के खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी-
अधिनियम काश्तकारी अधिनियम व हिन्दू उत्तराधिकार के तहत प्राप्त थे पी.ड. 1
देवीसिंह पुत्र रतन ने अपने बयान में दर्ज कराया है कि उक्त आराजी पैतृक आराजी
थी। बुद्धा व परसादी की थी। जो देवला से आई थी। वादीगण व प्रतिवादीगण के
पूर्वज देवीसिंह के बाबा बुद्धा, बुद्धा का रतन अकेला था। पी.ड. 2 बनैसिंह पुत्र पदम ने
अपने बयान दर्ज कराये है कि देवला मेरे बाबा लगते थे। बुद्धा व परसादी भी मेरे
बाबा लगते थे। देवला बडबाबा था। देवला की मृत्यु कब हुई ये मुझे नहीं पता।
परसादी का स्वर्गवास मेरे सामने हुआ। बुद्धा का मेरे सामने नहीं हुआ। विवादित खेत
का नंबर मुझे याद नहीं है। विवादित आराजी में पहले तो दोनों बुद्धा व परसादी
हिस्सेदार थे। अब दोनों का कब्जा बराबर का है। पी.ड. 3 नरेश पुत्र टीकम ने बयान
दर्ज कराये है कि देवला की मृत्यु कब हुई मुझे पता नहीं है। लेकिन देवला मेरे बाबा
है। बुद्धा की कब मृत्यु हुई यह भी मैं नहीं बता सकता। रतन की कब मृत्यु हुई मुझे
पता नहीं है। डी.ड. 1 विद्यासिंह पुत्र कैली बयान दर्ज कराये है कि मेरे बाबा का नाम
परसादी था। वादीगण के बाबा का नाम बुद्धा हो तो मुझे पता नहीं है। रतन परिवार
में ताउ लगता था। रतन-के पिता का नाम बुद्धा हो तो मुझे पता नहीं है। परसादी के-
पिता का नाम मुझे पता नहीं। परसादी व बुद्धा के पिता का नाम देवला हो तो हमें
पता नहीं। देवला के दो लडके बुद्धा और परसादी सगे भाई हो तो मुझे पता नहीं।
उक्त जमीन देवला की छोडी हुई हो तो मुझे पता नहीं। ये कहना गलत है कि देवला
के बाद जमीन परसादी व रतन को प्राप्त हुई हो बल्कि परसादी को मिली थी। डी.ड.
2 लेखराज पुत्र देवीसिंह ने बयान दर्ज कराये है कि परसादी व बुद्धा सगे भाई हो तो-
मुझे पता नहीं। परसादी व बुद्धा के पिता का नाम देवला हो तो मुझे पता नहीं। ये
जमीन पुरखान से चली आ रही है। उक्त जमीन मेरी दादी किस्तूरी या उनके पिता
परसादी की खरीदी हुई नहीं है। ये जमीन दो खातो में हो तो मुझे पता नहीं। प्रदर्श
4 जमाबन्दी (खेवट खतौनी) सम्वत 2019 ग्राम गाजीपुर, प्रदर्श 5 जमाबन्दी (खेवट
खतौनी) सम्वत 2019 ग्राम गाजीपुर, के अनुसार कॉलम संख्या 04 भूमि अधिकारी,
जागीरदार और मालगुजार विश्वेदार जमींदार में रतन बल्द बुद्धा (चौथाई) परसादी
बल्द देवला (चौथाई) कौम गुर्जर विवादित आराजी के साविक खसरा नम्बरान 193,
286, 386/173, 390/248, 140 दर्ज रिकार्ड है। उक्त विवेचन से सिद्ध है कि
परसादी, वादीगण के बाबा बुद्धा का सगा भाई था एवं देवला की मृत्यु के बाद बडा
भाई होने के कारण परसादी परिवार का कर्ता धर्ता था। अतः यह तनकी पक्ष वादीगण
विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

फोटो प्रति प्रमाणित

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भारतपुर)

तनकी नम्बर 3:- आया वादपत्र की खण्ड संख्या 08 अनुसार प्रति0 असल ने वादी को धमकी
दी है।- इस तनकी को सिद्ध करने भार वादीगण का है। उक्त मुकदमा नम्बर के
निर्णित किये जा रहे न्यायालय हाजा के मुकदमा नम्बर 16/24 उनवानी विद्यासिंह बनाम
देवीसिंह बगैराह में प्रदर्श ए2 रिपोर्ट पटवारी प्रार्थना पत्र श्री देवीसिंह निवासी गाजीपुर तहसील
बयाना, प्रदर्श ए3 मुकदमा नम्बर 249/25 उनवान देवीसिंह बनाम विद्यासिंह अन्तर्गत धारा
126-135 बीएनएसएस, प्रदर्श ए4 इस्तगासा प्रार्थना पत्र देवीसिंह बनाम विद्यासिंह अन्तर्गत

126, 135, 170 बीएनएसएस से सिद्ध होता है कि संभव है प्रति० असल ने वादी को
की दी। अतः यह तनकी पक्ष वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

नकी नम्बर 4:- आया उत्तरवाद की खण्ड संख्या 15 अनुसार विवादित आराजी वादीगण एवं
प्रतिवादीगण की पैत्रिक आराजी है वादीगण/प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से पर काबिज
है।- इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का है:- वादीगण द्वारा प्रदर्श 4
जमाबन्दी (खेवट खतौनी) सम्वत 2019 ग्राम गाजीपुर, प्रदर्श 5 जमाबन्दी (खेवट खतौनी)
सम्वत 2019 ग्राम गाजीपुर, के अनुसार कॉलम संख्या 04 भूमि अधिकारी, जागीरदार और
मालगुजार विश्वेदार जमीदार में रतन बल्द बुद्धा (चौथाई) परसादी बल्द देवला (चौथाई) कौम
गुर्जर विवादित आराजी के साविक खसरा नम्बरान 193, 286, 386/173, 390/248, 140
दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श 10 जमाबन्दी मौजा गाजीपुर सम्वत 1985, के अनुसार नाम मालिक मय
अहवाल के कॉलम संख्या 4 में देवला बल्द माते नीस्फ कौम गुजर साकिन देह खसरा नम्बर
140 हाल साविक 270, हाल 246 साविक 180 में खुदकाशत देवला हिस्सेदार दर्ज रिकार्ड है।
प्रदर्श 8 ढालबॉछ मौजा गाजीपुर सम्वत 2003, प्रदर्श 9 ढालबॉछ मौजा गाजीपुर सम्वत 2005
में नाम मालिक मय अहवाल में रतन बल्द बुद्धा चौथाई एवं परसादी बल्द देवला चौथाई
विवादित खसरा नम्बरान के साविक खसरा नम्बरान में अंकित है। प्रदर्श 13 जमाबन्दी मौजा
गाजीपुर सम्वत 1995, प्रदर्श 14 जमाबन्दी मौजा गाजीपुर सम्वत 1995 अनुसार नाम मालिक
व अहवाल के कॉलम में देवला बल्द माते चौथाई व नाम काशतकार व अहवाल के कॉलम में
खुदकाशत-बुद्धा व परसादी पिसरान देवला वहिस्सा बराबर हिस्सेदार व हैसियत गो मों सभी
दर्ज रिकार्ड है वादीगण एवं प्रतिवादीगण कॉमन एनसेस्टर्स (पूर्वज) देवला पुत्र माते के वंशज
है। पक्षकारान का सजरा दावा के माध्यम से पेश किया गया है। वादीगण एवं मूल
प्रतिवादीगण के कॉमन एनसेस्टर्स (पूर्वज) देवला ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना के खेवट में
वर्णित आराजी बतौर मालिक काशतकार व काबिज थे। दिनांक 28.03.2024 को मूल प्रतिवादी
संख्या 4 व 5 व शोभनार्थ अप्रार्थी संख्या 22 की ओर से अपना जबाव दावा पेश कर दावा में
वर्णित सजरा को स्वीकार किया गया है। वर्णित खेवट की आराजी कॉमन एनसेस्टर्स (पूर्वज)
होना स्वीकार किया है। वर्णित आराजी ग्राम गाजीपुर में स्थित होना स्वीकार किया है। वर्णित
आराजी वादीगण व मूल प्रतिवादीगण की घरू खेवट की पैत्रिक आराजी होना स्वीकार किया
गया है। विवादित आराजी का पूर्वज रतन व परसादी को कॉमन एनसेस्टर्स देवला से प्राप्त
होना स्वीकार किया गया है। विवादित आराजी में रतन व परसादी हिस्सेदार वहिस्सा बराबर
के खातेदार काशतकार एवं काबिज थे। उन्हें वहिस्सा बराबर के खातेदारी अधिकार राजस्थान
काशतकारी अधिनियम काशतकारी अधिनियम व हिन्दू उत्तराधिकार के तहत प्राप्त थे। पी.ड. 1
देवीसिंह पुत्र रतन ने अपने बयान में अंकित कराया है कि उक्त आराजी पैतृक आराजी थी।
बुद्धा व परसादी की थी। जो देवला से आई थी। वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज देवीसिंह
के बाबा बुद्धा, बुद्धा का रतन अकेला था। शपथ पत्र में मद संख्या 1 में 14 वी लाईन में जो
खसरा नम्बर है वह देवला के नाम था। संवत 1985 में था। उसके बाद में भी था। आज
वर्तमान में दो खाते उनके नाम है। 34 और 98 टीकम कैली करई किस्तूरी के नाम है। उसके
बाद विद्या मिटठू कमल नरेश के नाम आ गई। टीकम फौत हो गया है। टीकम का पुत्र नरेश
है। नरेश विद्यासिंह बगै. के साथ वहिस्सा बराबर खातेदार है। नरेश कितने का हिस्सेदार है ये
मुझे नहीं पता। नरेश दो बीघा जोत बो रहा है। यह कहना गलत है कि वर्तमान जमाबन्दी में
खातेदार दर्ज हैं वो जोत बो रहे हो। जो खाता संख्या 34 में 627, 628, 577, 578, 579, 580,
654, 1132/840 खाता संख्या 98 में 260 है। खाता संख्या 34 के खसरा नंबरो के आज हम
खातेदार नहीं है। असखुद कहा हम जोत बो रहे है। यह कहना गलत है कि उक्त खसरा
नंबरों को ना तो हमने कभी जाता है और ना ही हमारे पूर्वजों ने जोता है। वादीगण उक्त
रतन के वारिसान है तथा परसादी का भी स्वर्गवास हो चुका है। मूल प्रतिवादीगण परसादी के
वंशज है। वादीगण एवं मूल प्रतिवादीगण को विवादित आराजी पूर्वजों से प्राप्त हुई है।
संख्या 34 वर्णित खसरा नम्बरान में वादीगण मिलकर निस्फ हिस्से के खातेदार काशतकार एवं
काबिज है। वादीगण उक्त निहित हिस्से को काशत कर अपने उपयोग उपभोग में लेते चले आ

फोटो प्रतिवेदन है। लथा शेष निस्फ हिस्से में मूल प्रतिवादीगण मिलकर खातेदार काशतकार एवं काबिज
है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 577 रकवा 0.39, 578 रकवा 0.25, 579 रकवा 0.15, 627

उपखण्ड अधिकारी
बयानी (बयानपुर)

0.30, 628 रकवा 0.36, 654 रकवा 0.22, 857/1132 रकवा 0.01 वादीगण मिलकर-
 एक हिस्से के खातेदार काश्तकार एवं काबिज है तथा मूल प्रतिवादीगण उक्त आराजी में
 एक हिस्से के खातेदार काश्तकार है। उत्तरवाद की खण्ड संख्या 15 में अंकित किया गया है
 कि विवादित आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजों की घरू खेवट की पैत्रिक आराजी
 है। खेवट नम्बर 9 में रतन बल्द बुद्धा 1/4 हिस्से व परसादी बल्द देवला 1/4 हिस्से के
 हिस्सेदार ढाल बांछ जमाबन्दी सम्वत 2003-05 में दर्ज जमाबन्दी सम्वत 1985 में देवला उक्त-
 आराजी खुदकाश्त दर्ज थे। अर्थात् विवादित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैत्रिक
 आराजी है। बुद्धा, देवला के जीवन काल में स्वर्गवास हो गया था। दिनांक 17.10.2024 को
 मूल प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से जबावदावा पेश कर दावा वादीगण की
 अधिकाश मदों को अस्वीकार करते हुये अपने विशेष विवरण में अंकित किया है कि मूल
 प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 21 द्वारा अपने-अपने हिस्से की खातेदारी काश्तकारी की आराजी-
 खाता संख्या 34 व 98 ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना के साथ-साथ अन्य आराजी की बाबत
 दिनांक 10.10.2023 को एक रिलीजडीड तहरीर करवाकर उसी दिन सब रजिस्टार बयाना के
 समक्ष मूल प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के हक में बहिस्सा बाराबर रजिस्टर्ड करवाकर
 परित्याग/अन्तरित कर कब्जा दे दिया है जिसका नामान्तरण तस्दीक हो चुका है। इस
 प्रकार खाता संख्या 34 में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान 577 रकवा 0.39, 578 रकवा 0.25,
 579 रकवा 0.15, 627 रकवा 0.30, 628 रकवा 0.36, 654 रकवा 0.22, 857/1132 रकवा 0.01
 किता-8 कुल रकवा 1.74 हैक्ट. में मूल प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक 1/4-1/4
 यानी कुल 3/4 हिस्से के एवं मूल प्रतिवादी संख्या 4 व 5 मिलकर 1/4 हिस्से के तथा
 खाता संख्या 98, खसरा संख्या 260 रकवा 0.80 हैक्ट. ग्राम गाजीपुर में मूल प्रतिवादी-
 संख्या-1 लगायत 3 प्रत्येक 1/8-1/8 कुल 3/8 हिस्से के व मूल प्रतिवादी संख्या 4 व 5
 प्रत्येक 1/16 व 1/16 कुल 1/8 हिस्से के व शोभनार्थ प्रतिवादी संख्या-22, 1/2 हिस्से के
 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह
 तनकी पक्ष वादीगण, मूल प्रतिवादी संख्या 4 व 5 विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03
 सिद्ध की जाती है।

तनकी नम्बर 5:- आया उत्तरवाद की खण्ड संख्या 16 अनुसार वाद में नोन जोइण्डर आफ
 पार्टीज का दोष विद्यमान है।:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रति0 का है। जबाव दावा
 प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 की मद संख्या 16 में अंकित किया गया है कि वादीगण की
 सगी बहन स्व0 श्रीमति सन्ता के वारिसान व दूसरी सगी बहन गीता को पक्षकार मुकदमा नहीं
 बनाया है इसलिए वादपत्र में नौनजोइण्डर ऑफ पार्टीज का दोष विद्यमान है। वक्त निर्णय-
 दावा उक्त दोष के सम्बन्ध न्यायालय हाजा की जानकारी में है। सक्षम न्यायालय द्वारा
 न्यायहित देखा जाता है। विद्यमान दोष का निष्पादन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।
 चूंकि तनकी नम्बर 01 लगायत 04 वादीगण के पक्ष में तय की जा चुकी है। अतः यह तनकी
 भी पक्ष वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

मुकदमा नम्बर:- 16/24

तनकीनम्बर 1:-आया वादपत्र के खण्ड संख्या 01 अनुसार वादीगण व शोभनार्थ प्रतिवादीगण
 विवादित आराजी में निहित हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है।:-इस तनकी
 को सिद्ध करने का भार वादीगण का है। प्रदर्श 1 व 2 जमाबन्दी सम्वत 2076-79 एवं हाल में
 वादीगण एवं शोभनार्थ प्रतिवादीगण खसरा संख्या 577 लगायत 580 627, 628, 654-
 857/1132-एवं 260 खातेदार दर्ज रिकार्ड है। पी.ड. 1 विद्यासिंह ने अपने बयान दर्ज कराये
 हैं कि मैं चार दर्जा पढा हूं। परसादी मेरे बाबा थे। परसादी के पिता का नाम देवला हो तो
 मुझे अन्दाज नहीं। बुद्धा देवीसिंह बगै प्रतिवादीगण के बाबा तो थे पर दूसरे परिवार के थे।
 मुझे ये जानकारी नहीं है कि बुद्धा व परसादी सगे भाई हों। बुद्धा के एक लडका रतन था।
 बुद्धा व परसादी के पिता का नाम देवला हो तो मुझे अन्दाज नहीं है। देवला वादी व प्रतिवादी
 के पूर्वज हो तो हमें पता नहीं। शपथ पत्र में जो खसरा नम्बर हैं में उनको नहीं बता सकता।
 34 व 98 है। जो खसरा नम्बर लिखाये हैं वो पटवारी ने लिखाये होंगे। पटवारी का नाम
 बालगोविन्द या जाने काय मुझे ध्यान नहीं है। शपथ पत्र में जो खसरा नम्बर अंकित है उनके
 पुराने खसरा नं. मुझे याद नहीं है। ये कुल 12 बीघे जमीन है। ये जमीन हमें हमारे बाबा से

फोटो प्रति

थी। बाबा के पास ये जमीन कहां से आई ये बाबा को पता होगा। ये जमीन खरीदशुदा है घर की है। घरेलू खेवट की जमीन है। खेवट सं. 9 की जमीन है। पहले ये जमीन खता के नाम हो तो मुझे पता नहीं। यह मुझे पता नहीं कि जमीन देवला के बाद रतन व परसादी के नाम चढ़ी हो असखुद कहा हमने तो परसादी के नाम देखी है। मैंने 1995-96 में जमीन परसादी के नाम देखी थी। उससे पहले जमीन रतन व परसादी दोनों के नाम रही हो तो पता नहीं। खाता संख्या 98 में आधे हिस्से में बनयसिंह खातेदार है। यह सही है कि आधे हिस्से में हम व प्रतिवादीगण बराबर जोत बो रहे हैं यह कहना गलत है कि खाता संख्या 34 में दर्ज आराजी पूर्वजो की छोड़ी हुई हो बल्कि परसादी की है। परसादी के पास कहां से आई ये में नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि खाता संख्या 34 में वर्णित आराजी को वादीगण प्रतिवादीगण आधे-आधे जोत बो रहे हो। यह कहना गलत है कि हमारे दावे से पहले देवीसिंह बगौराह ने हमारे खिलाफ दावा पेश किया हों। यह सही है कि देवीसिंह द्वारा प्रस्तुत दावे में आज तारीख पेशी नियत है। यह सही है कि नरेश टीकम का लडका है। नरेश की मां अंगूरी है। अंगूरी व नरेश का विवादित आराजी में चौथाई हिस्सा है यह कहना गलत है की खातेदारी आधी-आधी होनी चाहिए। पी.ड. 2 बहादुरसिंह ने बयान दर्ज करवाये है कि विधासिंह, कमलसिंह, मिटठूसिंह मेरे भाई लगते हैं। जो मेरे मामा के लडके हैं। मेरे मामा का नाम कैलीराम है। कैलीराम कब मरे मुझे पता नहीं है। कैलीराम के पिता का नाम परसादी था। परसादी और बुद्धा सगे भाई हो मुझे पता नहीं मैं केवल परसादी मेरे नाना को जानता हू। रतन बुद्धा का लडका है। रतन के पांच लडका है। देवीसिंह, ओमप्रकाश, सीताराम, प्रताप और राकेश ये रतन के लडके हैं। परसादी और बुद्धा के पिता का नाम देवला हो तो मुझे पता नहीं है। परसादी और बुद्धा के पिता का नाम देवला हो तो मुझे पता नहीं है। देवला कब मरा मुझे पता नहीं है। मैं गाजीपुर नहीं रहता हूँ। मुझे पता नहीं वादीगण एवं प्रतिवादी के पूर्वज एक हो। वादीगण प्रतिवादीगण देवला के वंशज हो मुझे पता नहीं है। विवादित जमीन देवला की छोड़ी है मुझे पता नहीं। जमीन मेरे नाना ने जोती है मैंने जोती असखुद कहा। मुझे पता नहीं परसादी के पास यह जमीन देवला से आई हो। यह कहना गलत विवादित आराजी में आधे में रतन आधे में परसादी हिस्सेदार रहे हो। यह गलत है कि विवादित आराजी को आधे में रतन के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 व आधे हिस्से को वादीगण मौके पर वहिस्सा बराबर काश्त करते हो। यह सही की जमीन पुश्तैनी है खरीबी हुई नहीं है। यह कहना गलत है विधासिंह, कमलसिंह, और मिटठू के नाम खातेदारी गलत दर्ज हुई हो। यह कहना गलत है कि आज भी मौके पर रतन के वारिसान व परसादी के वारिसान मौके पर बराबर-बराबर काश्त कर रहे हो। मुझे खसरा नम्बर पता है 34 और 98 है। यह कहना गलत है कि विवादित आराजी का खसरा नम्बर 34 व 98 नहीं हो। जमाबन्दी मैंने देखी है। यह कहना गलत है कि विवादित आराजी का खसरा नम्बर 577, 578, 579, 580, 627, 628, 654, 857/1132-व 260 हो। डी.ड. 1 देवीसिंह ने बयान अंकित कराये है कि जमाबन्दी सम्बत 2076 लगायत 79 में खाता सं. 34 व 98 में आज मैं खातेदार नहीं हूँ आज ना ही मेरे पिता इसमें खातेदार दर्ज है। यह कहना गलत है कि आज मौके पर कमल, करई, किस्तूरी टीकम, मिटठू विधा का कब्जा है। असखुद कहा आधे में हमारा और आधे में उनका कब्जा है। परसादी की मृत्यु कब हुई तारीख और साल मुझे नहीं पता। बुद्धा की मृत्यु कब हुई मैंने देखा ही नहीं मुझे पता नहीं। रतन की मृत्यु सन 1990 हुई थी। मेरे पिताजी के नाम खातेदारी संवत 1985, 1995, 2017, 2013 मैं थी। पुराने खसरा नंबरों का मुझे याद नहीं है। नये का याद है। खाता संख्या 34 में है। यह कहना गलत है कि संवत 2017 की जमाबन्दी में परसादी पुत्र देवला खातेदार है। रतन पुत्र बुद्धा चौथाई व परसादी पुत्र देवला चौथाई खातेदार थे। संवत 2017 की जमाबन्दी मैंने देखी है। संवत 2017 में मेरा जन्म नहीं था। यह कहना सही है कि संवत 2013 में खाता संख्या 156 में खुदकाश्त परसादी खातेदार था। रतन पुत्र बुद्धा खातेदार था। मेरा जन्म नहीं था खातेदारी की नकल निकलवाई तो मालूम हुआ। खातेदारी की नकल निकलवाने से पहले मालूम नहीं था। किस्तूरी मेरी बुआ लगती थी। करई मेरी बुआ लगती थी। बादामी मेरी बड़ी दादी लगती थी। किस्तूरी, करई की मृत्यु दिनांक, साल, महीना मुझे पता नहीं है। किस्तूरी व करई दोनों के वारिसान मौजूद है। किस्तूरी व करई के वारिसान कमल, मिटठू बगौराह के नाम रिलीज डीड कराई है। रिलीज डीड कराने के बाद करई व

फोटो प्रमाण नहीं पता। किस्तूरी व करई दोनों के वारिसान मौजूद है। किस्तूरी व करई के वारिसान कमल, मिटठू बगौराह के नाम रिलीज डीड कराई है। रिलीज डीड कराने के बाद करई व

तूरी के वारिसान का कोई हिस्सा रहा या नहीं रहा, मुझे पता नहीं पता। परसादी व रतन, कब्जा रहा है। आज कुल 13 बीघे के खसरा नंबर है। पुरान खसरा नं. 390/248 का या खसरा नं. 577, 578, 579, 580, 627, 628, 654, 840/1152 बना है। पुराना खसरा नं. 390/248 में परसादी पुत्र देवला व रतन पुत्र बुद्धा खातेदार थे। जो मैंने लिखाया वो जमाबंदी के रिकार्ड के हिसाब से लिखाया है। परसादी, रतन को मैंने जोतते बोते देखा है। उस समय मेरी उम्र 15 साल होगी। डी.ड 2. ने अपने बयान अंकित कराये है कि मेरा जन्म 1997 में हुआ था। मैंने परसादी व रतनलाल को नहीं देखा और उनका कब स्वर्गवास हुआ यह मुझे नहीं पता। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि यह जमीन देवला की छोड़ी हुई है इसलिए मैं कहता हूं। टीकम की मृत्यु 2023 में हुई थी। देवला की छोड़ी हुई जमीन के पुराने खसरा नंबरों का मुझे पता नहीं है। मैं पुरानी देखना लगभग जानता हूं। मैंने संवत 1985 की जमाबंदी देखी है। वो जमीन 1/4 हिस्सा रतन पुत्र-बुद्धा व 1/4 हिस्सा परसादी पुत्र देवला के नाम थी। 1985-2017 की जमाबंदी देखी है। 2017 की जमाबंदी में 1/4 हिस्सा रतन पुत्र बुद्धा व 1/4 हिस्सा परसादी पुत्र देवला हिस्सेदार है। 2013 की जमाबंदी में 1/4 रतन पुत्र बुद्धा व 1/4 हिस्सा परसादी पुत्र देवला हिस्सेदार है। यह कहना गलत है कि 2013, 2017 की जमाबंदी में खुदकाशत परसादी की जमीन दर्ज हो। मेरी माताजी रतन की पत्नी हो तो मुझे पता नहीं लेकिन परसादी मेरे सगे बाबा थे। मेरी माताजी टीकम के यहां आकर खानन्दाज हुई-हो तो पता नहीं असखुद कहा लेकिन मैं टीकम का पुत्र हूं। विद्या, कमल व मिटठू मेरे सगे ताउ के लड़के हैं। यह बात सही है कि आज जमाबंदी खाता सं 34 में 1/8 का व 98 में 1/16 का खालेदार हूं। लेकिन इन्द्राज गलत हुआ है। करई व किस्तूरी मेरी बुआ थी। इन दोनों की मृत्यु हो चुकी है। इन दोनों के सभी वारिस जीवित नहीं है। कुछ मर भी गये है। विवादित जमीन बुआ के वारिसों के नाम भी आई थी। इन वारिसों ने चोरी छिपे विद्या, कमल व मिटठू के नाम रिलीज डीड करा दी थी लेकिन परसादी के एक वारिस टीकम को छिपाकर रिलीज डीड कराई थी। एक देवीसिंह बनाम विद्या नाम का मुकदमा इसी न्यायालय में चल रहा है। जिसमें मैं पार्टी हूं क्योंकि मेरे नाम गलत इन्द्राज आया हुआ है। जमीन का इन्द्राज गलत हुआ है मैं 1/2-में देवीसिंह, सीताराम, ओमप्रकाश, प्रताप और राकेश तथा 1/2 में विद्यासिंह कमलसिंह मिटठू और नरेश यानि मैं होने चाहिए थे। प्रदर्श ए1 जमाबन्दी खेवट खातौनी सम्वत 2017 अनुसार अनुसार कॉलम संख्या 04 भूमि अधिकारी, जागीरदार और मालगुजार विश्वेदार जमींदार में रतन बल्द बुद्धा (चौथाई) परसादी बल्द देवला (चौथाई) कौम गुर्जर विवादित आराजी के साविक खसरा नम्बरान 193, 286, 386/173, 390/248, 140 दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श ए 2 में अंकित है कि प्रार्थी देवीसिंह द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई है। कि राजस्व ग्राम गाजीपुर को वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 34 खसरा नम्बर 577.....किता 8 रकवा 1.74 हैक्ट व खाता संख्या 98 के खसरा नम्बर 260 रकवा 0.8 हैक्ट. में अंगूरी पत्नि टीकम बगै., मिटठूसिंह पुत्र कैली बगै. व खाता 98 में बनयसिंह पुत्र पदम हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है। जिसका अवलोकन किसी भी ईमित्र से नकल प्राप्त किया जा सकता है। दोनों ही-खातों में वादी देवीसिंह बगै. व प्रतिवादी विद्यासिंह बगै. आधे-आधे हिस्से पर काबिज थे परन्तु भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी विद्यासिंह के क्षरा परसादी पुत्र देवला (खाता 98) व खाता 34 विद्यासिंह के पिता कैली, टीकम भुआ किस्तूरी व करई के नाम दर्ज रिकार्ड थे परन्तु ग्रामवासियों के बताए अनुसार प्रार्थी देवीसिंह के पूर्वजों से समय से आधे हिस्से पर कब्जा काशत करता आ रहा था परन्तु अप्रार्थी के नाम विरासत से भूमि दर्ज हो जाने पर प्रार्थी-देवीसिंह को फसल बोने से रोक दिया गया। आज की तिथि में अप्रार्थी विद्यासिंह बगै0 ने अपने कब्जाकाशत हिस्से में फसल बोई परन्तु प्रार्थी को बोने नहीं दिया गया। अतः प्रार्थी विवेचन से सिद्ध है कि वर्तमान में वादीगण व शोभनार्थ प्रतिवादीगण रिकार्ड में तो खोबेदार दर्ज है। किन्तु पूर्व की जमाबन्दियों के अनुसार सही इन्द्राज नहीं किया गया है। मौके पर वादीगण का कोई कब्जाकाशत उक्त विवादित भूमि में नहीं पाया गया है। अतः यह तनकी विरुद्ध वादीगण तय की जाती है।

फोटो प्रति भूसाधन

तनकी नम्बर 2:- आया मूल प्रतिवादीगण ने वादीगण को दिनांक 03.01.24 मद सं0 2 अनुसार

धमकी दी।- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण था। परन्तु वादीगण द्वारा धमकी

उपखण्ड अधिकारी

बयान (पृष्ठ सं 14)

प्रार्थी
अधिकारी
भारतपुर

मुकदमा-में कोई बल नहीं दिया गया है। न ही कोई साक्ष्य पेश कर पाये है।
 वादीगण ने प्रदर्श ए2 रिपोर्ट पटवारी प्रार्थना पत्र श्री देवीसिंह निवासी गाजीपुर तहसील
 बयाना, प्रदर्श ए3 मुकदमा नम्बर 249/25 उनवान देवीसिंह बनाम विद्यासिंह अन्तर्गत धारा
 126-135 बीएनएसएस, प्रदर्श ए4 इस्तगारा प्रार्थना पत्र देवीसिंह बनाम विद्यासिंह अन्तर्गत-
 धारा 126, 135, 170 बीएनएसएस से सिद्ध होता है कि वादीगण द्वारा ही विवाद किया गया
 है। अतः यह तनकी विपक्ष वादीगण पक्ष प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर 3:- आया उत्तरवाद की खण्ड संख्या 12 अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के
 कॉमन एनसेस्ट(पूर्वज) देवला विवादित आराजी में बतौर मालिक काश्तकार व काबिज थे।-
 इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का है। मुकदमा नम्बर 16/24 के साथ-
 निर्मित किये जा रहे मुकदमा नम्बर 215/23 की तनकी नम्बर 1 के विवेचन अनुसार वादीगण
 द्वारा प्रदर्श 4 जमाबन्दी (खेवट खतौनी) सम्वत 2017 ग्राम गाजीपुर, प्रदर्श 5 जमाबन्दी (खेवट
 खतौनी) सम्वत 2017 ग्राम गाजीपुर, के अनुसार कॉलम संख्या 04 भूमि अधिकारी, जागीरदार
 और मालगुजार विश्वेदार जमीदार में रतन बल्द बुद्धा (चौथाई) परसादी बल्द देवला (चौथाई)
 कौम गुर्जर विवादित आराजी के साविक खसरा नम्बरान 193, 286, 386/173, 390/248,
 140 दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श 10 जमाबन्दी मौजा गाजीपुर सम्वत 1985, के अनुसार नाम मालिक
 मय अहवाल के कॉलम संख्या 4 में देवला बल्द माते नीस्फ कौम गूजर साकिन देह खसरा
 नम्बर 140 हाल साविक 270, हाल 246 साविक 180 में खुदकाश्त देवला हिस्सेदार दर्ज
 रिकार्ड है। प्रदर्श 8 ढालबॉछ मौजा गाजीपुर सम्वत 2003, प्रदर्श 9 ढालबॉछ मौजा गाजीपुर
 सम्वत 2005 में नाम मालिक मय अहवाल में रतन बल्द बुद्धा चौथाई एवं परसादी बल्द देवला
 चौथाई विवादित खसरा नम्बरान के साविक खसरा नम्बरान में अंकित है। प्रदर्श 13 जमाबन्दी
 चौथाई विवादित खसरा नम्बरान के साविक खसरा नम्बरान में अंकित है। प्रदर्श 14 जमाबन्दी मौजा गाजीपुर सम्वत 1995 अनुसार नाम
 मालिक व अहवाल के कॉलम में देवला बल्द माते चौथाई व नाम काश्तकार व अहवाल के
 कॉलम में खुदकाश्त बुद्धा व परसादी पिसरान देवला वहिस्सा बराबर हिस्सेदार व हैसियत गो-
 मों सभी दर्ज रिकार्ड है। दिनांक 22.07.2024 को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 की ओर से
 जबाव दावा पेश कर दावा में वर्णित अधिकांश मदों को अस्वीकार किया है और अपने विशेष
 विवरण में अंकित किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण कॉमन एनसेस्टर्स (पूर्वज) देवला पुत्र
 माते के वंशज है जिसका जबाव दावा में सजरा प्रदर्शित किया है। वादीगण एवं मूल
 प्रतिवादीगण के कॉमन एनसेस्टर्स (पूर्वज) देवला ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना के खेवट में-
 वर्णित आराजी में बतौर मालिक काश्तकार व काबिज थे। ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना की
 जमाबन्दी सम्वत 2076-79 में दर्ज नवीन खाता संख्या 34 में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान
 577 रकवा 0.39, 578 रकवा 0.25, 579 रकवा 0.12, 580 रकवा 0.15, 627 रकवा 0.30, 628
 रकवा 0.30, 654 रकवा 0.22, 857/1132 रकवा 0.01 हैक्ट. स्थित है। इसी प्रकार नवीन
 खाता संख्या 98 में वर्णित खसरा नम्बर 260 रकवा 0.80 हैक्ट. ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना-
 में स्थित है। नवीन खसरा नम्बरान जिन साविक खसरा नम्बरान से बनाये गये है उनका
 मिलान, मिलान क्षेत्रफल के अनुसार निम्न प्रकार है।

नवीन खसरा नम्बरान

साविक खसरा नम्बर

- | | | |
|---------------------------|---|------------------------------|
| 577 रकवा 0.39 हैक्ट. | } | 390/248 रकवा 5 बीघा |
| 578 रकवा 0.25 हैक्ट. | | |
| 579 रकवा 0.12 हैक्ट. | | |
| 580 रकवा 0.15 हैक्ट. | } | 246 रकवा 3 बीघा 15 विस्वा |
| 626 रकवा 0.30 हैक्ट. | | |
| 628 रकवा 0.30 हैक्ट. | } | 386/173 रकवा 1 बीघा 6 विस्वा |
| 654 रकवा 0.22 हैक्ट. | | |
| 857/1132 रकवा 0.01 हैक्ट. | | 193 |
| 260 रकवा 0.80 हैक्ट. | | 140 मिन |

Handwritten signature
 उपखण्ड अधिनारी
 बयाना (भरतपुर)

कोटो प्रति
 वादा में वर्णित आराजी, वादीगण एवं मूल प्रतिवादीगण की घरू खेवट की पैत्रिक आराजी है।
 ढाल बॉछ जमाबन्दी सम्वत् 2003 व 2005 में खेवट संख्या 9 में दर्ज है। जिसमें रतन पुत्र
 बुद्धा चौथाई, परसादी पुत्र देवला चौथाई के अर्थात निस्फ के मालिक व काश्तकार दर्ज है।

निस्फ हिस्सा धूपसिंह, जौहरी, पदम, रमेश, गुट्टल के नाम दर्ज है। शेष निस्फ पूर्व की आबन्दी सम्बत् 1985 में कॉमन एनसेस्टर्स देवला निस्फ हिस्सा का मालिक व काश्तकार-व खुदकाश्त दर्ज है। विवादित आराजी वादीगण के पूर्वजों रतन व परसादी को कॉमन एनसेस्टर्स देवला से प्राप्त हुई थी। विवादित आराजी में निस्फ हिस्से में रतन व निस्फ हिस्से में परसादी वहैसियत मालिक काश्त करते एवं काबिज चले आ रहे थे। आराजी उनकी खुदकाश्त की आराजी थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर उन्हें उक्त अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त थे। अतः उक्त विवेचन सिद्ध है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के कॉमन एनसेस्ट(पूर्वज) देवला विवादित आराजी में बतौर मालिक काश्तकार व काबिज थे। अतः तनकी पक्ष प्रतिवादीगण विरुद्ध वादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर 4:- आया उत्तरवाद की खण्ड संख्या 15 अनुसार राज0 काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर खातेदारी अधिकारी प्रतिवादीगण को प्राप्त हो गए। इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का है। चूंकि प्रकरण में तनकी नम्बर 03 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जा चुकी है। अतः यह तनकी भी पक्ष प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर 5:- आया उत्तरवाद की खण्ड संख्या 17 अनुसार वादीगण का दावा खारिज योग्य है।- इस तनकी को सिद्ध करने भार प्रतिवादीगण को है। प्रकरण में तनकी नम्बर 01 लगायत 04 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जा चुकी है। अतः यह तनकी भी प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

दादरसी:-मुकदमा नम्बर 215/23 व 16/24

हर दो मुकदमान में दस्तावेजी साक्ष्यों, बयानों, उभयपक्षकारान के तर्कों एवं तनकीबार विवेचनों के आधार पर पर मुकदमा नम्बर 215/23 आंशिक स्वीकार है, एवं मुकदमा नम्बर 16/24 खारिज योग्य है।

निर्णय

अतः हर दो मुकदमान में मुकदमा नम्बर 215/23 उनवान देवीसिंह बगै बनाम विद्यासिंह बगै0 आंशिक स्वीकार किया जाता है। मुकदमा नम्बर 215/23 के अन्तर्गत आराजी खाता संख्या 34 में वर्णित खसरा नम्बर 577 रकवा 0.39, 578 रकवा 0.25, 579 रकवा 0.12, 580 रकवा 0.15, 627 रकवा 0.30, 628 रकवा 0.30, 654 रकवा 0.22, 857/1132 रकवा 0.01 वाके ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना में मूल प्रतिवादीगण के नाम दर्ज न्यारान्यूर खातेदारी इन्द्राज को कलमजन कर वादीगण के पिता रतन के वारिसान के नाम निस्फ हिस्से का खातेदार काश्तकार काबिज आराजी घोषित किया जाता है एवं खाता संख्या 98 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 260 रकवा 0.60 हैक्ट वाके ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना में वादीगण के पिता रतन के वारिसान के नाम 1/2 दर 1/2 अर्थात 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी घोषित किया जाता है। मुकदमा नम्बर 16/24 उनवान विद्यासिंह बनाम देवीसिंह को खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की हरदो मुकदमान में शामिल की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13/4/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावलियां फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद-तकमील दाखिल दफतर हो।



फोटो प्रति प्रमाणित

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

(दीपक मिश्र, अ.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बयाना

डिकरी व मुकदमों इन्वदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाप्टा दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE] APPENDIXD-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बयाना जिला भरतपुर
व इजलास दीपक मित्तल आर.ए.एस

मुकदमा नं०:-215/23

1. देवीसिंह पुत्र रतन पोत्र बुद्धा
 2. सीताराम पुत्र रतन पोत्र बुद्धा
 3. ओमप्रकाश पुत्र रतन पोत्र बुद्धा
 4. प्रताप पुत्र रतन पोत्र बुद्धा
 5. राकेश पुत्र रतन पोत्र बुद्धा
- सभी जाति गूजर निवासी गाजीपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान।

.....वादीगण

बनाम

1. विधासिंह पुत्र कैलीराम
 2. कमलसिंह पुत्र कैलीराम
 3. मिट्टूसिंह पुत्र कैलीराम
 4. श्रीमती अंगूरी पत्नि टीकम
 5. नरेश पुत्र टीकम
- सभी जाति गूजर निवासी गाजीपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान।
6. बहादुर पुत्र हरीसिंह — श्रीमती करई(पुत्री) परसादी जाति गूजर निवासी महमदपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान।
 7. भूदेई पुत्री रामजीलाल
 8. बंदना पुत्री रामजीलाल
 9. मौनू पुत्र रामजीलाल
- जाति गूजर निवासी पठानपाडा कस्बा बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान
10. रामपति पुत्री रामजीलाल
 11. किन्ना पुत्री रामजीलाल
- जाति गूजर निवासी बंगसपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर
12. कारे पुत्र रामजीलाल
 13. जीवन पुत्र रामजीलाल
 14. दखो पत्नि देवीसिंह
 15. लेखराज पुत्र देवीसिंह
 16. अतर पुत्र देवीसिंह
- जाति गूजर निवासी नगला सिंघाडा तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान।
17. गंगा पुत्री देवीसिंह जाति गूजर निवासी नगला खटका तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान।
 18. मुकुट पुत्र रजोले
 19. बिहारी पुत्र रजोले
 20. परमा पुत्र रजोले
- जाति गूजर निवासी तिया का नगला (ब्रह्मवाद) तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान।
21. शीला पुत्री रजोले जाति गूजर निवासी वमनपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान।
— मूल प्रतिवादीगण
 22. बनैसिंह पुत्र पदम जाति गूजर निवासी गाजीपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर राजस्थान।
— शोभनार्थ प्रतिवादीगण



मुकदमानम्बर:-16/24

1. विधासिंह उर्फ विधाराम पुत्र स्व० कैलीराम
 2. कमलसिंह पुत्र स्व० कैलीराम
 3. मिट्टूसिंह पुत्र स्व० कैलीराम
- सभी जाति गुर्जर, निवासी ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर

.....वादीगण

बनाम

फोटो प्रति प्रमाणित

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भारतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भारतपुर)

1. देवीसिंह पुत्र स्व० रतन
2. सीताराम पुत्र स्व० रतन
3. ओमप्रकाश पुत्र स्व० रतन
4. प्रताप पुत्र स्व० रतन
5. लक्ष्मण पुत्र स्व० रतन

सभी जाति गुर्जर, निवासी ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर
—मूलप्रतिवादीगण

6. श्रीमती पत्नि स्व० टीकम
7. नरेश पुत्र स्व० टीकम
8. बनेसिंह पुत्र पदम

सभी जाति गुर्जर, निवासी ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर
—शोभनार्थ प्रतिवादीगण

वाद स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188
राजस्थान टीनेन्सी एक्ट०

यह मुकदमा आज दिनांक 13/4/26 वास्ते इनफिसाल कर्तई रू-ब-रू मुझ बहाजरी श्री महेन्द्र भूषण शर्मा एडवोकेट तथा श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, उपस्थित होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि—

हर दो मुकदमान में मुकदमा नम्बर 215/23 उनवान देवीसिंह बगै बनान विद्यासिंह बगै० आंशिक स्वीकार किया जाता है। मुकदमा नम्बर 215/23 के अन्तर्गत आराजी खाता संख्या 34 में वर्णित खसरा नम्बर 577 रकवा 0.39, 578 रकवा 0.25, 579 रकवा 0.12, 580 रकवा 0.15, 627 रकवा 0.30, 628 रकवा 0.30, 654 रकवा 0.22, 857/1132 रकवा 0.01 वाके ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना में मूल प्रतिवादीगण के नाम दर्ज न्यारान्यूर खातेदारी इन्द्राज को कलनजन कर वादीगण के पिता रतन के वारिसान के नाम निस्फ हिस्से का खातेदार कास्तकार काबिज आराजी घोषित किया जाता है एवं खाता संख्या 98 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 260 रकवा 0.60 हैक्ट वाके ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना में वादीगण के पिता रतन के वारिसान के नाम 1/2 दर 1/2 अर्थात 1/4 हिस्से के खातेदार कास्तकार एवं काबिज आराजी घोषित किया जाता है। मुकदमा नम्बर 16/24 उनवान विद्यासिंह बनान देवीसिंह को खारिज किया जाता है।

चीज X मुबलिंग प्रतिवादीगण X बाबत

खर्चा तक को अदा करें।

वसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 13/4/26 को जारी की गई।

(Handwritten signature)
दस्ताखत मुह (अधिकारी)
बयाना

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दायलाह	रुपया	पैसे
अर्जीदावा वकालतनामा वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीशनर इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक	निल	निल	वकालतनामा वहज सबूत जबाबदावा/काउन्टर क्लेम मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक	निल	निल
	00	00		00	00

नोट— इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।



फोटो प्रति प्रमाणित

उपस्थान्त अधिकारी
बयाना (भारतपुर)

(Handwritten signature)
उपस्थान्त अधिकारी
बयाना (भारतपुर)